कार्यालय–निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,बीकानेर

क्रमांक :–शिविरा/माध्य/छाप्रोप्र/बी/असंपूमैछा/2017–18/ दिनांक : 05/10/2017

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक प्रथम/द्वितीय)

विषय :– अल्पसंख्यक पूर्व मैट्रिक छात्रवृति हेतु एन.एस.पी पोर्टल पर सत्र 2017–18 मे विद्यार्थी द्वारा नूतन/नवीनीकरण आवेदन करने की अंतिम तिथी बढानें बाबत।
प्रसंग :– अल्पसंख्यक मामलात विभाग, नई दिल्ली का पत्र दिनांक 03.10.2017

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक ई–मेल के क्रम मे लेख है कि अल्पसंख्यक पूर्व मैट्रिक छात्रवृति हेतु एन.एस.पी पोर्टल पर सत्र 2017–18 के प्रस्ताव अभी तक बहुत कम संख्या मे प्राप्त हुए है इस हेतु अल्पसंख्यक मामलात विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली ने अन्तिम अवसर देते हुए पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथी को बढा कर निर्देशित किया है कि निम्न तिथियो तक उक्त कार्य अनिवार्य रूप से पूर्ण करे :–

क्र.सं.	कार्यक्रम	पूर्व निर्धारित अंतिम तिथी	संशोधित अंतिम तिथी
1	विद्यार्थी द्वारा अल्पसंख्यक पूर्व मैट्रिक छात्रवृति नूतन/नवीनीकरण हेतु ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथी	30–सितम्बर–2017	31–अक्टूबर–2017

उक्त निर्धारित दिनांक के पश्चात मंत्रालय द्वारा पोर्टल पर उक्त ऑप्शन बन्द कर दिए जाएगें। अतः अपने अधीनस्थ समस्त संस्था प्रधानो को उक्त कार्य निर्धारित समयावधी मे करने हेतु पाबन्द करे।

05/10/17
प्रभारी अधिकारी
छात्रवृति अनुभाग
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि :–

1. उपशासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. अवर सचिव, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. समस्त उपनिदेशक (माध्यमिक) को प्रेषित कर निवेदन है कि वे अपने अधिनस्थ जि0शि0अ0 कार्यालयों को उक्त कार्यवाही शीघ्र करने हेतु पाबन्द करे।
6. अनुभाग अधिकारी, कम्प्युटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट एवं शाला दर्पण पर अपलोड करवाने बाबत।

05/10/17
प्रभारी अधिकारी
छात्रवृति अनुभाग
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

www.rajteachers.com